

ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनाधी) असरा बंग 99, 100, 103 ग्राम
बोरखेडा क्षेत्रफल 13600 वर्गमीटर (Mark :- A-TOJ)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 19/10/2016 में लिये गए

निर्णयानुसार	निम्न शर्तों के साथ ले-आउट	लान अवगोहित किया जाता है :-
आवासीय	घांसी	आई.सी.
73491.86	धर्मिक	सुविधा क्षेत्र
वर्गफुट	स्थल	रेलु आरक्षित
50.22%	7776.93	13400.47
	वर्गफुट	वर्गफुट
	0.83 %	9.15 %
	वर्गफुट	वर्गफुट
	5.32 %	3.62 %

कुल क्षेत्रफल - 146336 वर्गफुट

- (1) बहर के सहारे 60' सड़क का प्रावधान रखा जावे।
- (2) पहुँचयोग 40' रखा जावे।
- (3) रेलवे भूमि सीमा के सहारे 100 फीट की दूरी में ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार 40' चौड़ी सड़क का प्रावधान एवं छोटी खुली भूमि आरक्षित रखी जावे। उक्त खुली भूमि को भविष्य में रेलवे विभाग की अनपत्ति प्राप्त होने पर तदनुसार उपयोग पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।
- (4) योजना में 5 प्रतिशत पार्क/खुला स्थल एवं पी.यू.धार्मिक स्थल रखा जावे।
- (5) योजना में आई.सी. का प्रावधान रखा जावे।
- (6) टाउनशिप पॉलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- (7) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीनी प्रस्तुत करवने होंगे एवं तकमीनी का व्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (8) नियमानुसार ई.डी.सी. रशिप व अन्य शुल्क जमा कराये जावे होंगे।
- (9) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।
- (10) 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रहने जाने हेतु मोगीज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किये जा सकेंगे।
- (11) पट्टे जारी करने से पूर्व खातिफल, क्षेत्रफल व अन्य कोई विवाद व हों इस बाबत सुनिश्चिता कर ली जावे।
- (12) पट्टे जारी करने से पूर्व गैके के ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार भूखण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

(4) दरिद्र नगर निर्बीजक
नगर विकास प्रा. सं. सी. य.

नोट :- योजना के आन्तरिक विकास हेतु नियमानुसार 12.5% प्रतिशत में भूखण्ड सं० 50 से 56 (कुल 7 भूखण्ड) क्षेत्रांतर्गत 10000 वर्ग मीटर आरक्षित किये जाते हैं, जिन्हें हरे रंग से दर्शाया गया है। इनकी सीमाएँ नीचे दर्शाई गई हैं।

राजेश ठाडा
SIG. OF OWNER
चन्दा ठाडा

